Social Justice And Women Empowerment Commission
(Section-SJWEC)
Telephone No:91+01171557824
Email: info@socialjusticecommission.com

****

Ref. no. – SJC-0073/IND/20-25 **New Delhi-110001**

सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता आयोग

: आयोग क्या होता है?

(What is an Aayog?)

1. आयोग का अर्थ और भूमिका (Definition & Role)

"आयोग" एक ऐसा संगठन होता है जो सामाजिक, कानूनी, मानवीय और प्रशासनिक मुद्दों पर कार्य करता है। यह संस्था किसी खास उद्देश्य जैसे महिला सुरक्षा, मानवाधिकार, बाल अधिकार, दलित कल्याण, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक न्याय आदि के लिए बनाई जाती है।

> आम जनता और सरकार के बीच सेतु (Bridge) की तरह काम करता है, जिससे समाज की समस्याएँ सीधे प्रशासन तक पहुँच सकें।

आयोग के कार्य:

समाज में अधिकारों की रक्षा करना

शिकायतों का निवारण कराना

प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान चलाना

सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी करना

पीड़ितों की सहायता करना (कानूनी, मानसिक, सामाजिक)

2. आयोग की जरूरत क्यों है? (Why Aayog is Necessary)

आज भी समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या वे शोषण का शिकार होते हैं:

1. महिलाएँ, जिन्हें घरेलू हिंसा, दहेज या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा चाहिए।

2. बच्चे, जो बाल श्रम, बाल शोषण या शिक्षा से वंचित हैं।

3. वृद्ध और विकलांग, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा और सहयोग की जरूरत होती है।

4. दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, जिन्हें भेदभाव और सामाजिक असमानता से बचाव की आवश्यकता है।

5. सामान्य नागरिक, जिनकी शिकायतें पुलिस, प्रशासन या पंचायत तक नहीं पहुँच पातीं।

इसलिए आयोग का कार्य है कि वह इन वर्गों को संवैधानिक और मानवाधिकार सुरक्षा प्रदान करे और सरकार व प्रशासन से न्याय दिलवाए।

3. आयोग कैसे काम करता है? (How It Works)

1. आयोग के पास आधिकारिक ढांचा (Organizational Structure) होता है जिसमें राष्ट्रीय से लेकर ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी होते हैं।

2. आम जनता से शिकायतें (Complaints) ली जाती हैं – लिखित, ऑनलाइन, या वॉट्सएप से।

3. इन शिकायतों को आयोग द्वारा प्रशासन/सरकारी विभागों को भेजा जाता है।

4. आयोग जाँच करता है, रिपोर्ट बनाता है और समाधान के लिए अनुशंसा करता है।

5. आयोग कार्यक्रम, शिविर, ट्रेनिंग, और सेमिनार के माध्यम से जागरूकता फैलाता है।

4. आयोग की कार्यकारिणी (Aayog's Karyakarini)

आयोग का ढांचा चार प्रमुख स्तरों में बंटा होता है:

1. राष्ट्रीय स्तर (National Level)

पूरे देश के लिए नीति निर्धारण और संचालन

पदनाम	कार्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष	आयोग का सर्वोच्च नेतृत्व
राष्ट्रीय महासचिव	सभी राज्यों की रिपोर्टिंग और समन्वय
निदेशक (Training/Legal)	प्रशिक्षण व कानूनी मामलों की निगरानी
मीडिया प्रमुख	सभी प्रचार, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया

राष्ट्रीय सलाहकार मंडल   विषय विशेषज्ञों की समिति

? 2. राज्य स्तर (State Level)

? राज्य की सभी जिलों का पर्यवेक्षण और सहयोग

पदनाम	कार्य
राज्य अध्यक्ष	राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व
राज्य सचिव	जिला इकाइयों के समन्वय
महिला प्रमुख	राज्य की महिला शिकायतों की निगरानी
प्रशिक्षण प्रभारी	राज्य ट्रेनिंग कार्यक्रमों का संचालन
CSR/NGO समन्वयक	सहयोगी संस्थाओं से तालमेल

? 3. जिला स्तर (District Level)

? स्थानीय शिकायतें और कार्यक्रम संचालन

पदनाम	कार्य
जिला संयोजक	जिले में आयोग का प्रतिनिधित्व
ब्लॉक प्रभारी	हर ब्लॉक में कार्यक्रम और निगरानी
महिला संयोजक	महिला केसों की प्राथमिक जांच
RTI प्रभारी	सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दे
कार्यक्रम प्रभारी	आयोजन और शिविरों की जिम्मेदारी

? 4. विशेष टीम/सेल (Special Wings)

1. महिला प्रकोष्ठ – POSH, घरेलू हिंसा, महिला हेल्पलाइन

2. युवा विंग – कॉलेज, युवाओं को जोड़ने का कार्य

3. RTI सेल – सूचना अधिकार से जुड़ी मदद

4. कानूनी सहायता टीम – मुफ्त कानूनी सलाह व सेवा

5. मीडिया टीम – रिपोर्टिंग, कवरेज और प्रमोशन

🔹 5. आयोग में शामिल होने के फायदे (Key Benefits of Joining the Aayog)

🔹 मान्यता प्राप्त पद

🔹 पहचान पत्र और प्रमाण पत्र

🔹 प्रशासनिक समन्वय में विशेषाधिकार

🔹 जनसरोकार में सम्मान और प्रभाव

🔹 ट्रेनिंग, करियर ग्रोथ और सामाजिक नेतृत्व

🔹 निष्कर्ष:

आयोग एक ऐसा मंच है जो आम नागरिकों को अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए आवाज़ देता है।

यह न सिर्फ सामाजिक सेवा है, बल्कि एक सशक्त पहचान और प्रभावशाली नेतृत्व का अवसर भी है।

चौधरी इरफ़ान (राष्ट्रीय अध्यक्ष)

सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता आयोग